न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) — जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी	:	श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या	:	63/2020
3. उनवान	:	सरकार जरिये कुशाल बिलाला, प्रवर्तन निरीक्षक बनाम श्री शान्ति लाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर लाल खण्डेलवाल निवासी शिवदासपुरा चाकसू हाल निवासी प्लाट नं. 1 पूजा कालोनी, मंगोडी वालों की बगीची ब्रह्मपुरी जयपुर, मालिक मैसर्स नरेन्द्र मिष्ठान भण्डार, सम्राट सिनेमा के सामने, सुभाष चौक जयपुर।
4. निर्णय दिनांक	:	27.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम	:	अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 24.09.2008 को शिकायत की जांच हेतु मैसर्स नरेन्द्र मिष्ठान पर पहुंचे। कार्यवाही के दौरान 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 13.800 किग्रा. जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग बिना विधि सम्मत दस्तावेजों के किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित हैं। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 24.09.2008 को जब्त सामान से अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग, कालाबाजारी से सिलेण्डर क्रय करके अवैध रुप से दुरुपयोग बिना विधि सम्मत दस्तावेजों के किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नही दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नही किया गया है। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों को बर्नर के बडे चूल्हों से रबड टयूब, पीतल के रेग्यूलेटर से जोडा जाकर एलपीजी को ईंधन के रुप मे कार्य लिया जाकर चूल्हों पर विभिन्न खाद्य सामग्री का निर्माण संस्थान मैसर्स नरेन्द्र मिष्ठान भण्डार पर विक्रय करने हेतु किया जा रहा था। अप्रार्थी ने उक्त सिलेण्डरों को गैस हॉकर से ब्लैक में 500/– में रिफिल करना एवं खाली सिलेण्डर भी ब्लैक में खरीदना बताया। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस 13.800 किग्रा को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष मे जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III
JAIPUR